(2019) 5 एस सी आर 856

संजय सिंह और अन्य

बनाम

केन्द्रीय हिमालयी भूमि विकास कम्पनी लिमिटेड

(सिविल अपील संख्या – 1928 सन् 2019) 21 फरवरी 2019

[न्यायमूर्ति– उदय उमेश ललित एवं अशोक भूषण]

वाद– धन की वसूली– अपीलकर्तागण ने एक आवासीय फ्लैट बुक किया, जिस पर प्रतिउत्तरदाता द्वारा एक विला का निर्माण किया जाना था– विला का कुल प्रतिफल 15,65,000/– रुपये था– अपीलकर्तागण के कथनानुसार उनके द्वारा सभी किश्तों का भुगतान किया गया– इसके बाद , अपीलार्थीगण ने उत्तरदाता की ओर से प्रेषित मूल धनराशि में से शेष प्रतिफल 5,13,850/– रुपये मय ब्याज 3,61,460/– रुपये कुल 8,73,556/– रुपये की वसूली हेतु एक मांग पत्र प्राप्त किया– जिसके अनुसरण में उत्तरदाता की ओर से उक्त धनराशि की वसूली हेतु एक संक्षिप्त वाद योजित किया गया, जो खारिज हुआ– प्रथम अपील में उच्च न्यायालय द्वारा 721 दिनों के विलम्ब को क्षमा करते हुए अपीलार्थीगण को न्यायालय में 5,13,850/– रुपये जमा करने हेतु निर्देशित किया गया और आगे यह भी निर्देशित किया गया कि उत्तरदाता अपीलार्थी को विला का कब्जा हस्तान्तरित कर दें– यद्यपि उच्च न्यायालय द्वारा अपने पूर्व के आदेश को पलटते हुए 5,13,850/– रुपये की धनराशि को निर्मुक्त करने और उत्तरदाता को विला का कब्जा वापस करने हेतु निर्देशित किया गया– अपील में अवधारित किया गया कि उच्च न्यायालय को उक्त स्थिति को पलटने का निर्देश देने का कोई कारण नहीं था और यह भी कि 721 दिनों के विलम्ब को क्षमा किये जाने का सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था– इन सभी परिस्थितियों में उच्च न्यायालय द्वारा विलम्ब को क्षमा किये जाने में त्रुटि की गयी– इस प्रकार विलम्ब को क्षमा किये जाने के उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को खण्डित किया गया और फलस्वरूप प्रथम अपील को भी खारिज किया गया– इसके अलावा अपीलार्थीगण को विला पर कब्जा बनाये रखने और न्यायालय में जमा धनराशि 5,13,850/– रुपये मय अर्जित ब्याज उत्तरदाता को सौंपे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अवधारित किया कि –

1– प्रस्तुत मामले में उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 16.04.2018 में ऐसी स्थिति लाने की कोशिश की थी जहां विवाद के क्षेत्र को कम किया जा सके और उसी समय विला का कब्जा अपीलार्थी को दिया जा सके। अपीलार्थी को न्यायालय में शेष विक्रित प्रतिफल रुपये 5,13,850/– जमा करने और उसी समय उक्त धनराशि जमा करने पर उत्तरदाता कम्पनी को विला का कब्जा अपीलार्थीगण सौंपने हेतु निर्देशित किया गया। न्यायालय के अगले आदेश दिनांकित 23.05.2018 से दर्शित होता है कि अपीलार्थीगण की ओर से दर्शित धनराशि को जमा किये जाने और उत्तरदाता द्वारा विला का कब्जा हस्तान्तरित किये जाने हेतु 15.07.2018 के लिये सहमति बनी। विला का कब्जा वास्तव में हस्तान्तरित कर दिया गया। उसके पश्चात प्रकरण उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.07.2018 को आया। उच्च न्यायालय द्वारा विलम्ब को क्षमा किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए 721 दिनों के विलम्ब को इस शर्त पर कि उत्तरदाता हर्जे के रूप में 20,000/– अपीलार्थीगण को देंगे, क्षमा किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा यह भी गौर किया गया कि धन की वसूली के उक्त वाद को योजित किये

जाने और उसके खारिज होने तथा उसकी डिक्री के विरुद्ध की गयी अपील में पारित अन्तरिम आदेश के आधार पर अपीलार्थीगण को उत्तरदाता द्वारा निर्मित विला पर कब्जा प्राप्त नहीं हो सका था। तत्पश्चात उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरदातागण को उक्त जमा की गयी धनराशि को ब्याज सहित लौटाने हेतु आदेशित किया गया। इन परिस्थितियों में प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय का प्रतिफल को लौटाये जाने का आदेश न्यायानुमत था। पक्षकारों के मध्य हुई सहमति की शर्तों के अधीन, जो उच्च न्यायालय के पूर्व आदेशों में लेखबद्ध की गयी थी, के आधार पर उच्च न्यायालय के पास ऐसा कोई कारण नहीं था, कि वह स्थिति को परिवर्तित करने का आदेश पारित करे।

[पैरा– 11 और पैरा– 14] [पैरा– 862–बी.सी. ; 861– ए. – ई.; 862– सी.– डी.]

2– उच्च न्यायालय द्वारा 721 दिन के विलम्ब को क्षमा किया गया था, जबकि विलम्ब को क्षमा किये जाने का कोई सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नहीं था। यह उत्तरदाता की ओर से घोर लापरवाही थी और इसके सम्बन्ध में विलम्ब को क्षमा किये जाने की जो प्रार्थना उनकी ओर से की गयी, वह भी उचित नहीं थी। सम्पूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा विलम्ब को क्षमा नहीं किया जाना चाहिये था। इस प्रकार अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत तर्क स्वीकार किये जाते हैं। विलम्ब को क्षमा किये जाने का आदेश खण्डित किया जाता है और परिणामस्वरूप प्रथम अपील भी खारिज की जाती है। [पैरा– 15] [862–डी.–ई.; एफ.–जी.]

3– यद्यपि उच्च न्यायालय में अपील के लम्बित रहने के दौरान परिस्थितियों में हुए परिवर्तन पर विचार करते हुए, यह निर्देशित किया जाता है कि (अ) आदेश दिनांकित 23.05.2018 के अनुपालन में अपीलार्थीगण को हस्तान्तरित किया गया। विला का कब्जा पक्षकारों के मध्य हुई समझौते की शर्तों के अधीन जारी रहेगा। (ब) अपीलार्थीगण द्वारा 5,13,850/– रुपये की धनराशि जो कि उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा की गयी है। वह फिक्स डिपॉजिट के रूप में परिवर्तित हो जायेगी और परिपक्व होने पर अर्जित ब्याज सहित उत्तरदाता को दे दी जायेगी। (स) राज्य आयोग के समक्ष लम्बित अपील का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किया जाये।

[पैरा– 16][862–जी.–एच.; 863–ए.–बी.]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील संख्या– 1928/2019

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय एवं आदेश दिनाकंकित 25.07.2018 के विरुद्ध योजित मूल प्रथम अपील संख्या– 876/2016।

अधिवक्ता राजनकुमार चौरसिया ——— ओर से अभीलार्थीगण

अधिवक्तागण रजत सेहगल, मिस ऋताज्ञा रीति सिंह, प्रवीनराव, मिस वन्दना आनन्द——— उत्तरदातागण की ओर से।

न्ययामूर्ति उदय उमेश ललित द्वारा निर्णय उद्घोषित किया गया।

(1) अनुमति प्रदान की गयी।

(2) यह अपील उच्च न्यायालय दिल्ली, नई दिल्ली द्वारा मूल प्रथम अपील संख्या 876 सन् 2016 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 25.07.2018 के विरुद्ध योजित की गयी है।

(3) अपीलार्थीगण द्वारा एक आवासीय प्लॉट "क्लाउड-9 हिल टाउन" योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के नैनीताल जनपद के ग्राम खाराबार रामगढ़ में बुक किया गया था, जिस पर उत्तरदातागण को एक विला का निर्माण किया जाना था, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 14.04.2004 को एक इकरारनामा निष्पादित किया गया, जिसकी शर्तों के अनुसार विला के प्रतिफल की कुल धनराशि 15,65,000/– रुपये थी और विला को तीस महीनों के भीतर तैयार किया जाना था। इसके पश्चात दिनांक 14.05.2004 को अपीलार्थीगण के पक्ष में उक्त प्लॉट का बैनामा किया गया। अपीलार्थीगण के अनुसार उनके द्वारा बैंक से 13,30,000/– का लोन लिया गया और सम्पूर्ण किश्तों का भुगतान उनके देय होने पर किया गया था। दिनांक 03.10.2007 को अपीलार्थीगण को शेष प्रतिफल 5,13,850/– रुपये मय ब्याज 24 % वार्षिक के बकाये का एक मांग नोटिस प्राप्त हुआ। अपीलार्थीगण की ओर से 5,13,850/– रुपये धनराशि का एक चेक दिनांक 12.10.2007 को प्रेषित किया गया, जो उत्तरदातागण की ओर से वापस लौटा दिया गया।

(4) इसके पश्चात उत्तरदातागण द्वारा खाते का एक विवरण तैयार किया गया, जो मूलधन में से शेष 5,13,850/– रुपये मय ब्याज और 3,61,460/– रुपये, कुल 8,73,556/– रुपये बकाया होना दर्शित करता था। इसके शीघ्र पश्चात उत्तरदातागण द्वारा उक्त धनराशि 8,73,556/– रुपये की वसूली हेतु एक संक्षिप्त वाद योजित किया गया, जो कि वाद संख्या 431/2014/2008 के रूप में अपर जनपद न्यायाधीश तीस हजारी न्यायालय, नई दिल्ली में पंजीकृत हुआ।

(5) अपीलार्थीगण की ओर से एक उपभोक्त शिकायत सी.सी./110/2008 उत्तरदातागण के विरुद्ध इस आधार पर योजित की गयी कि अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 08.10.2007 को बकाया धनराशि का चेक प्रेषित किया गया था, जिसे उत्तरदातागण द्वारा लेने से इन्कार किया गया, इस आधार पर कि 24% वार्षिक ब्याज की धनराशि उसमें शामिल नहीं थी और यह कि उक्त विला समय से तैयार नहीं हो पायी जिससे अपीलार्थीगण को हानि पहुंची है। अपीलार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना की गयी कि उत्तरदातागण को विला का कब्जा सम्पूर्ण सुविधाओं सहित हस्तान्तरित करने एवं शेष बकाया 5,13,850/– रुपये स्वीकार करने हेतु कहा जाए। उत्तरदातागण द्वारा इसका विरोध करते हुए तर्क किया गया है कि अपीलार्थीगण द्वारा कभी भी समय पर किश्तों का भुगतान नहीं किया गया, उत्तरदाता की ओर से कोई देरी नहीं की गयी है और उत्तरदातागण द्वारा ब्याज की मांग किया जाना न्यायानुमत है।

(6) जिला उपभोक्ता फोरम द्वितीय नई दिल्ली के आदेश दिनांकित 29.04.2010 द्वारा याचिका को स्वीकार करते हुए उत्तरदाता को विला का कब्जा अपीलार्थीगण को हस्तान्तरित करते हुए शेष धनराशि 5,13,850/– बिना ब्याज के प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया और यह भी निर्देशित किया गया कि उत्तरदाता अपीलार्थीगण को क्षतिपूर्ति के रूप में 1,00,000/– रुपये अदा करे। जिला उपभोक्ता फोरम द्वितीय का उक्त आदेश, राज्य उपभोक्ता फोरम नई दिल्ली के समक्ष की गयी अपील में वर्तमान में लम्बित है।

(7) उत्तरदातागण द्वारा योजित दीवानी वाद अपर जनपद न्यायाधीश– 15 (केन्द्रीय), तीस हजारी न्यायालय दिल्ली के आदेश दिनांकित 30.07.2014 द्वारा खारिज किया गया। मुख्य वाद बिन्दु यह विरचित किया गया था कि क्या उत्तरदातागण मांगी गयी धनराशि 8,73,556/– रुपये को प्राप्त करने के अधिकारी हैं? न्यायालय द्वारा उत्तरदातागण के तर्कों को स्वीकार नहीं किया गया और सभी दावों को अस्वीकार करते हुए वाद को खारिज किया गया।

(8) उत्तरदाता द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में मूल प्रथम अपील संख्या 873/2016, 721 दिनों के विलम्ब को क्षमा किये जाने के प्रार्थना पत्र के साथ योजित की गयी। देरी को क्षमा किये जाने के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में यह निवेदन किया गया कि पूर्व के अधिवक्ता द्वारा वाद के निस्तारण के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गयी थी और इसीलिये उत्तरदातागण उक्त अधिवक्ता के विरुद्ध बार काउंसिल दिल्ली में शिकायत योजित करने हेतु मजबूर हुए, जो कि लम्बित है और उक्त अधिवक्ता की लापरवाही के आधार पर उत्तरदाता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उच्च न्यायालय के समक्ष यह अपील 16.04.2018 को आयी और उभय पक्षों के तर्कों पर विचार करने के पश्चात उच्च न्यायालय ने वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर जो कि पूर्व के आदेशों में लेखबद्ध किये गये थे, विचार करते हुए अवधारित किया कि–

"जहां कुल प्रतिफल में से केवल कुछ अंश शेष था, जो कि उत्तरदाता को प्रेषित किया गया था, परन्तु अपीलार्थी कम्पनी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। उत्तरादातागण को उक्त प्रतिफल की धनराशि 5,13,850/– रुपये को चार सप्ताह के भीतर न्यायालय में जमा करने हेतु आदेशित किया गया और यह भी आदेशित किया गया कि उक्त धनराशि के जमा किये जाने के पश्चात अपीलार्थी कम्पनी विला का कब्जा उत्तरदाता को उनके शान्तिपूर्ण कब्जे और उपयोग हेतु हस्तान्तरित कर देगी। अपीलार्थी कम्पनी यह भी सुनिश्चित करे कि विला निवास योग्य स्थिति में हो और हर प्रकार से पूर्ण हो।

कम्पनी के विरुद्ध किये गये तर्कों एवं पुलिस थाना अमरकालोनी से आयी हुई अद्यतन आख्या पर विचार करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी कम्पनी के प्रबन्धक के उत्तरदायी व्यक्ति अग्रिम तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

इस प्रश्न कि क्या अपीलार्थी कम्पनी भुगतान में हुई देरी के आधार पर ब्याज पाने की अधिकारी है, का निर्धारण अपील की अन्तिम सुनवाई के समय किया जायेगा। मूल अद्यतन आख्या अभिलेख पर रखी जाए।

सुनवाई हेतु 23.05.2018 नियत की जाती है। अवर न्यायालय का अभिलेख अग्रिम तिथि हेतु तलब हो।"

(9) तत्पश्चात दिनांक 23.05.2018 को मामला पेश हुआ और उत्तरदाता की ओर से पूर्व तिथि पर धनराशि उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा किये जाने का कथन किया गया, जिसे फिक्स डिपॉजिट जिसे कि स्वतः नवीनीकृत होना हो, के रूप में रखा जाए। अपीलार्थी की ओर से विला का कब्जा उत्तरदाता को अभी तक प्रदान नहीं किया गया है, उनकी ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि पूर्ण निर्मित विला का कब्जा उत्तरदाता को 15 जुलाई 2018 तक दे दिया जायेगा।

(10) अभिलेख से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में 5,13,850/– रुपये जमा किये जा चुके हैं, जिसे फिक्स डिपॉजिट रसीद के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है। अपीलार्थी की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि विला का कब्जा तदनुसार अपीलार्थीगण को दे दिया जायेगा।

(11) तत्पश्चात मामला दिनांक 25.07.2018 को उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुआ। उच्च न्यायालय द्वारा देरी के सम्बन्ध में दिये गये स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए 721 दिनों के विलम्ब को इस शर्त पर क्षमा किया गया कि उत्तरदाता अपीलार्थीगण को 20,000/– रुपये हर्जे के रूप में अदा करेंगे। उच्च न्यायालय द्वारा यह भी गौर किया गया है कि –

“6. अपीलार्थी/वादी की ओर से योजित वाद की विषय–वस्तु धन की वसूली थी, जिसके निस्तारण हेतु इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा एक अन्तरिम आदेश पारित किया गया, जिसमें अपीलार्थी/वादी को निर्देशित किया गया कि उक्त विला का कब्जा, जिसे उत्तरदाता/प्रतिवादी के लाभ हेतु निर्मित किया गया था, हस्तान्तरित कर दे और इस प्रकार उत्तरदातागण ने भी इस न्यायालय में 5,00,000/- रुपये की धनराशि जमा की। किसी कार्यवाही में कोई ऐसा अन्तरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, जो कि मुख्य कार्यवाही के क्षेत्र से बाहर हो। वादी की ओर से योजित उक्त धन की वसूली के वाद के खारिज होने पर उक्त डिक्री के विरुद्ध की गयी वर्तमान अपील में पारित अन्तरिम आदेश के कारण उत्तरादातागण विवादित फ्लैट/विला, जिसे अपीलार्थी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के नैनीताल जनपद में खैराबार रामगढ़ ग्राम में स्थित "क्लाउड-9 हिल टाउन" में निर्मित किया गया था, का कब्जा प्राप्त नहीं कर सके। इसीलिए यह आदेश दिया जाता है कि उत्तरदाता द्वारा इस न्यायालय में जमा की गयी धनराशि को मय ब्याज आज से 04 सप्ताह के भीतर उत्तरदाता को वापस निर्मुक्त किया जाए और साथ ही साथ या उससे पहले उत्तरदाता द्वारा इस अपील में पारित अन्तरिम आदेश के अनुपालन में प्राप्त किया गया विला का कब्जा अपीलार्थीगण को वापस किया जाए। प्रथम अपील अंगीकृत की गयी और उसकी वरिष्ठता के आधार पर सुनवाई हेतु वर्ष में उचित समय पर नियत किये जाने का निर्देश दिया गया।

(12) उक्त आदेश दिनांकित 25.07.2018 को चुनौती दी गयी। नोटिस जारी करते हुए इस न्यायालय द्वारा उक्त आदेश का प्रवर्तन स्थगित किया गया।

(13) हमारे द्वारा अभिलेख का परिशीलन किया गया और उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की ओर से किये गये तर्कों पर विचार किया गया, जिससे निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं–

(अ) अपीलार्थीगण की ओर देय कथित शेष धनराशि 5,13,850/– अपीलार्थीगण द्वारा जमा की गयी।

(ब) आदेश दिनांकित 23.05.2018 के अनुपालन में जमा धनराशि को फिक्स डिपॉजिट रसीद के रूप में परिवर्तित किया गया है।

(स) आदेश दिनांकित 23.05.2018 के अनुपालन में और उत्तरदाता द्वारा दिये गये आश्वासन के अधीन विला का कब्जा अपीलार्थीगण को दिया गया।

(14) प्रस्तुत मामले में उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 16.04.2018 में ऐसी स्थिति को लाने की कोशिश की थी, जहां विवाद के क्षेत्र को कम किया जा सके और उसी समय विला का कब्जा अपीलार्थी को दिया जा सके। दिनांक 23.05.2018 को पारित अगले आदेश से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थीगण की ओर से दर्शित धनराशि को जमा किये जाने और उत्तरदाता द्वारा विला का कब्जा हस्तान्तरित किये जाने हेतु दिनांक 15.07.2018 के लिये सहमति बनी। विला का कब्जा वास्तव में हस्तान्तरित कर दिया गया। इन परिस्थितियों में हमारे विचार हेतु प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय का स्थिति को पलटने का आदेश न्यायनुमत था ? हमारे अनुसार पक्षकारों के मध्य हुई सहमति की शर्तों के अधीन जो उच्च न्यायालय के पूर्व आदेशों में लेखबद्ध की गयी थी, के आधार पर उच्च न्यायालय के पास ऐसा कोई कारण नहीं था कि वह स्थिति को परिवर्तित करने हेतु निर्देशित करे।

(15) लेकिन यह अधिक आश्चर्यजनक है कि उच्च न्यायालय द्वारा बिना किसी सन्तोषजनक स्पष्टीकरण के 721 दिनों के विलम्ब को क्षमा किया गया। हमारी राय में यह उत्तरदाता की ओर से गम्भीर लापरवाही थी और उसके

सम्बन्ध में देरी को क्षमा किये जाने हेतु जो स्पष्टीकरण दिया गया, वह भी सही दर्शित नहीं होता है। तथ्य से यह भी दर्शित होता है कि उक्त अधिवक्ता के विरुद्ध योजित शिकायत में भी प्रभावी पैरवी नहीं की गयी। विशेष अनुमति याचिका में यह भी बताया गया कि उक्त अधिवक्ता के विरुद्ध कोई शिकायत शुरू नहीं की गयी और उत्तरदाता नियत तिथियों पर लगातार अनुपस्थित रहा। इस न्यायालय में योजित किये गये प्रति शपथ पत्र में भी इस सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचार करते हुए हमारी राय में उच्च न्यायालय द्वारा देरी को क्षमा नहीं किया जाना चाहिये था और इस प्रकार हम अपीलार्थीगण के तर्कों को स्वीकार करते हैं, तदनुसार देरी को क्षमा किये जाने का उक्त आदेश निरस्त किया जाता है, फलस्वरूप प्रथम अपील भी खारिज की जाती है।

(16) यद्यपि अपील के लम्बित रहने के दौरान परिस्थितियों में हुए परिवर्तन पर विचार करते हुए हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं–

(अ) आदेश दिनांकित 23.05.2018 के अनुपालन में विला का जो कब्जा अपीलार्थीगण को दिया गया था, वह पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के अनुसार अपीलार्थीगण के पास बना रहेगा।

(ब) अपीलार्थीगण की ओर से उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा की गयी धनराशि 5,13,850/– रुपये जो कि फिक्स डिपॉजिट रसीद के रूप में परिवर्तित की गयी थी, परिपक्व होने पर अर्जित ब्याज सहित उत्तरदाता को दी जायेगी।

(स) राज्य आयोग के समक्ष लम्बित अपील गुण–दोष के आधार पर निर्णीत की जायेगी।

(17) उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील खर्चे के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित किये बिना स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकार।

पुनरीक्षित द्वारा- काशिफ शेख, [J.O.Code-UP2680], अपर सत्र न्यायाधीश, संतकबीर नगर।